



भारत सरकार  
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./ई-मेल



सं- CHG/RAP/LST-40/RPR

खान कोड- 38MPR28010

दिनांक:-25.10.2023

प्रेषिति-

श्री जयकुमार कृष्णास्वामी,  
नामित खान मालिक,  
सोनाडीह चूनापत्थर खान,  
सर्वश्री नुवोको विस्तार कारपोरेशन  
लिमिटेड, एकुइनोक्स बिज़नस पार्क,  
टावर 3, पूर्व विंग, 04 वीं मंजिल,  
LBS मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र-400070  
ईमेल-[jayakumar.krishnaswamy@nuvoco.com](mailto:jayakumar.krishnaswamy@nuvoco.com)

श्री अरविन्द कुमार पाटिल,  
खान एजेंट,  
सोनाडीह चूनापत्थर खान,  
सर्वश्री नुवोको विस्तार कारपोरेशन  
लिमिटेड, पोस्ट-रसेदा, तहसील-बलोदा बाज़ार,  
जिला- बलोदा बाज़ार, छत्तीसगढ़ - 493332  
ईमेल-[arvindkumar.patil@nuvoco.com](mailto:arvindkumar.patil@nuvoco.com)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपके सोनाडीह चूनापत्थर खान 444.763 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) [MCDR, 2017 as amended] के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 21.09.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, Mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 10.12.2020 to the extent indicated below:-</p> <p>i. It was proposed to open new pit (Pit No.02) in southern part of the lease area by shifting of existing mine office, garage, security post, magazine etc. and substantial quantity of limestone was proposed to be produced in year 2022-23 and 2023-24 from this pit. However, it is observed during inspection that, this new pit has not been opened as envisaged in the RMP; only some overburden removal work has been carried out in the said area and extraction of limestone has not been commenced from said new pit (Pit No.02) so far.</p> <p>Hence, above are observed to be against the systematic &amp; scientific development of the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो